श्रीधर सी०, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की अध्यक्षता में दिनांक–29.12.2013 को 04.00 बजे अपराह्न समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में मनरेगा से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

1.0 उपस्थिति

पंजी के अनुसार।

2.0 कार्यवाही

आयुक्त, मनरेगा के द्वारा प्रत्येक माह की प्रगति से संबंधित विस्तृत समीक्षात्मक टिप्पणी भेजी जा रही है। उक्त टिप्पणी के आलोक में जिला स्तर पर कार्रवाई कराकर अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा रही है, परन्तु विगत 04 माह में प्राप्त प्रतिवेदन के संबंध में की गई **DPC** की ओर से सरकार को प्रेषित नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में निम्न निदेश दिए गये :–

2.1 **प्रखंडवार प्रत्येक पंचायत में चल रहे कार्यों के संबंध में साप्ताहिक समीक्षा कर तत्संबंधी प्रतिवेदन संचिका के माध्यम से उपस्थापित करें।**

2.2 वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल–1,28,940 में ई–मस्टर रॉल **MIS** से निर्गत किये गये हैं, जिसमें से केवल 1,09,188 ई–मास्टर रॉल की ही प्रविष्टि **MIS** पर की गई है। ई–मस्टर रॉल के विरूद्ध निर्गत **Wage List MIS** पर अपलोड किए गए 1,09,188 ई–मस्टर रॉल के विरूद्ध मात्र 3,960 **Wage List** निर्गत किये गये है, जिसमें से 21,119 ई–मस्टर रॉल शामिल हैं। मुल–88,059 ई–मस्टर रॉल के लिए **Wage List** निर्गत किया जाना अवशेष है। अभी भी मजदूरी का भुगतान मैनुअल एडभाईस से किया जाना प्रतिवेदित किया जा रहा है।

वैसे पंचायतों, जिसमें कोई कार्य नहीं हुआ है, मस्टर रॉल की प्रविष्टि खराब है और अधिक समय से भुगतान लंबित है, वहाँ के पंचायत रोजगार सेवक, प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा से स्पष्टीकरण प्राप्त करें।

2.3 **बुधवारीय जाँच अभियान के अन्तर्गत दो सदस्यीय जाँच दलों का गठन कर मनरेगा योजना के अभिलेखों की जाँच कराकर जाँच प्रतिवेदन के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में संचिका उपस्थापित करना सुनिश्चित करें।**

2.4 **पूर्ण योजनाओं के मामले में पूर्णता का फोटो अपलोडिंग कराकर कार्यक्रम पदाधिकारीवार संकलित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।**

2.5 राज्य सरकार के स्तर यह अप्रसन्नता प्रकट की गई है कि पूर्ण योजनाओं का फोटो अपलोड करने में कोताही बरती जा रही है। 1,139 जॉब कार्ड **Duplicate** प्रतिवेदित है। कतिपय मामले में इस संबंध में कोई प्रगति प्रतिवेदित नहीं है। **कार्यक्रम पदाधिकारीवार आँकड़ों को निकालकर एक सप्ताह के अन्दर सत्यापन करते हुए उपस्थापित करें। वैसे पंचायत रोजगार सेवक एवं प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा, जिनके स्तर पर कार्रवाई लंबित हैं, उन्हें चयनमुक्त करने की कार्रवाई करें।**

2.6 कुल–1,318 दिनों की बेरोजगारी भत्ता लंबित रहने के संबंध में नवम्बर माह की टिप्पणी प्राप्त है। **संबंधित पंचायत रोजगार सेवक एवं प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा समीक्षा कर 05 जनवरी तक समीक्षात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करें।**

2.7 सामाजिक अंकेक्षण की प्रगति असंतोषप्रद है। **अंकेक्षण में प्रतिवेदित आँकड़ों पर कार्रवाई एवं प्रगति अपेक्षित है।**

2.8 **वैसे सारे पंचायतों को चिन्हित करें, जहाँ निर्धारित मजदूरी का अनुपात 60:40 के विपरीत है। संबंधित प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा से स्पष्टीकरण प्राप्त करें कि किस परिस्थिति में 60:40 के अनुपात का उल्लंघन किया गया है।**

2.9 वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा के कम में पाया गया कि विभिन्न पंचायतों को जिला स्तर पर दी गई स्वीकृति के आलोक में कुल–13.00 करोड़ राशि राज्य सरकार की ओर से विमुक्त की गई है। राज्य सरकार की यह राशि बैंक खाता में उपलब्ध हो चुकी है, परन्तु ग्रामीण विकास विभाग की ओर से **DPC** के खाता में तिथि की प्रविष्टि नहीं करने के कारण **MIS** में इस राशि की उपलब्धता प्रदर्शित नहीं हो रही है। इसी कारणवश जिन पंचायत रोजगार सेवक एवं प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा के द्वारा भुगतान हेतु चेक निर्गत कर दिया गया है, उसके **Due Payment** की तिथि बेबसाईट पर अंकित करने में कठिनाई हो रही है। **इस संबंध में पूर्व में दिए गए प्रपत्र में संबंधित पंचायत रोजगार सेवक एवं प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा से प्रतिवेदन प्राप्त करें। पंचायत स्तर पर वास्तविक भुगतान करने की कार्रवाई सुनिश्चित कराते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराएँ।**

तीन दिनों के अन्दर MIS में Due Payment की तिथि की प्रविष्टि कराकर MIS को अद्यतीकरण सुनिश्चित कराएँ।

- **(i) जि.ग्रा.वि.अभिकरण के स्तर पर विभिन्न प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा से भुगतान के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में MIS को अद्यतन किए गए तिथि से मिलान कर ससमय साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।**
- **(ii) प्रत्येक दो दिनों पर वैसे पंचायतों, जिसमें 1.00 लाख से राशि कम हो चुकी है, उस राशि की विमुक्ति हेतु संचिका उपस्थापित करें। इसकी सारी जवाबदेही श्री ललित किशोर राम, वरीय लेखा पदाधिकारी की होगी।**

2.10 **DPC** के द्वारा वर्ष 2012–13 के बाद सारी योजना की गहन जॉच कराई गई है तथा काफी अनियमितता प्रतिवेदित हुई है। उक्त के आलोक में सभी पंचायत रोजगार सेवक/प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा को गणना कर कटौती करने का निदेश दिया गया है। उपर्युक्त के आलोक में निदेश दिया गया कि **कार्यक्रम पदाधिकारीवार प्रतिवेदन को अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जॉच किए गए प्रतिवेदन से मिलान कराकर प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करें कि प्रतिवेदन के आलोक में सभी पंचायतों में कार्रवाई की गई है अथवा नहीं। वैसे पंचायतों, जिसमें अनियमित रूप से भुगतान की कार्रवाई की जा चुकी है और कार्रवाई करना अपेक्षित है, इसके संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपस्थापित करें।**

2.11 निम्नांकित प्रखण्डों के नाम के सामने अंकित पंचायतों में योजनाओं का कियान्वयन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण मनरेगा जॉब कार्डधारियों को रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जिसमें **अपेक्षित सुधार की आवश्यकता है :–**

कमांक	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम
1.	केसरिया	पूर्वी केसरिया
2.	पकड़ीदयाल	पकड़ीदयाल उत्तरी
3.	मेहसी	मिर्जापुर

(अनुपालन–उप विकास आयुक्त–सह–अपर कार्यकम समन्वयक/निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम–सह–निधि प्रबंधक/वरीय लेखा पदाधिकारी)

2.12 कार्य के त्वरित निष्पादन के दृष्टिकोण से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में अनुबंध पर चयनित निम्नांकित कर्मियों को उनके नाम के सामने निम्न कार्य आवंटित किए जाते हैं :–

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	आवंटित कार्य	अभ्युक्ति
1.	श्री ललित किशोर राम, वरीय लेखा पदाधिकारी	लेखा से संबंधित सभी कार्य।	
2.	श्री चन्दन कुमार, तकनिकी सहायक	एम0आई0एस0 के प्रतिवेदन का साप्ताहिक प्रेषण।	
3.	श्री दयाशंकर ठाकुर, तकनिकी सहायक	सामाजिक अंकेक्षण, फोटो अपलोडिंग एवं लेखा/आवंटन से संबंधित संचिका/ विवरणी का प्रेषण।	

(अनुपालन–वरीय लेखा पदाधिकारी/संबंधित कर्मी, जि.ग्रा.वि.अभिकरण)

उपरोक्त निदेश का उल्लंघन यदि किसी पदाधिकारी/कर्मी के स्तर पर किया जायेगा तो इसे गंभीरता से लेते हुए उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 23 /गो0, मोतिहारी, दिनांक 06-01-14

प्रतिलिपि सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त–सह–अपर कार्यक्रम समन्वयक/निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम–सह–निधि प्रबंधक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/वरीय लेखा पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/आई0टी0 मैनेजर, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/संबंधित कर्मी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 23 /गो0, मोतिहारी, दिनांक 06-01-14

प्रतिलिपि आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि आयुक्त, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।